कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, सीतापुर

पत्रांकः 1502 /14–10–4 दिनाँकः सीतापुर, 24-9 2015

सेवा में,

अतिरिक्त महाप्रबन्धक (परियोजना),
रेल विकास निगम लिमिटेड,
प्रथम तल–पर्यटन भवन,
सी–13, विपिन खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषयः पीलीभीत वाया सीतापुर तथा लखीमपुर के मध्य आगम परिवर्तन हेतु कमलापुर तथा बरई जलालपुर रेलवे स्टेशनों के बीच कि0मी0 68/14–15 पर डाइवर्ज़न के साथ पुल संख्या–84 का आरक्षित वन भूमि पर निर्माण हेतु।

सन्दर्भः भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक 8बी0/यू0पी0/07/23/2015/एफ0सी0/831 दिनांक 23.09.15

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में निम्न प्रकार धनराशि जमा कराने का कष्ट करें–

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु शर्त संख्या–1 के क्रम में प्रभावित वन भूमि 0.85 हे0 के दोगुने 1.70 हे0 अवनत वन भूमि में रोपण एवं 10 वर्षों के रख–रखाव हेतु रु0 1,96,820/– प्रति हे0 की दर से रु0 3,34,594/– जमा कराने का कष्ट करें।

शर्त संख्या–2 के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या–566 एवं भारत सरकार के पत्रांक 5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.09 के अनुसार डेन्स फॉरेस्ट तृतीय श्रेणी के क्रम में 0.85 हे0 वन भूमि का शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) रु0 8,03,000/– प्रति हे0 की दर से रु0 6,82,550/– जमा करने का कष्ट करें।

शर्त संख्या–1 व 2 के अनुसार कुल धनराशि रु0 10,17,144/– (रुपया दस लाख सत्रह हज़ार एक सौ चव्वालीस मात्र) आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से लेखा शीर्षक Compensatory Afforestation Fund CAF Corporation Bank, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi के बचत खाता सं0 03710010102530 आई0एफ0एस0सी0 कोड CORP0000371 में जमा करा कर रसीद इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें तथा भारत सरकार द्वारा जारी पत्र में दर्शायी गयी सभी शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित करें।

~~संलग्नक– उपरोक्तानुसार।~~

भवदीय

(ए0पी0 त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर

पत्रांकः 1502 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(2) मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को सन्दर्भित पत्र की प्रति सहित।
(3) प्रोजेक्ट मैनेज़र, रेल विकास निगम लिमिटेड, प्रथम, पर्यटन भवन, सी–13, विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

(ए0पी0 त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर

पत्रांकः / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भारत सरकार की सैद्धान्तिक स्वीकृति की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

(1) उप प्रभागीय वनाधिकारी, सीतापुर व बिसवाँ
(2) क्षेत्रीय वनाधिकारी, सीतापुर व सिधौली।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

(ए0पी0 त्रिपाठी)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी वन प्रभाग
सीतापुर

Comp.1-Arti